रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 1983/चैत्र 15, 1905
No. 50] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 1983/CHAITRA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)
संकल्प

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1983

फाइल सं. टीडब्ल्यू/टीडीसी(30)/81.—31-5-1982 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में पारित संकल्प में निहित सिफारिशों के अनुपालन में यह निर्णय किया गया है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मोटर यानों के कराधान की मौजूदा पद्धति की समीक्षा करने और उसे कारगर बनाने खासकर उन सिद्धान्तों को निर्धारित करने के सुझाव देने के लिए जिनके आधार पर मोटर यानों पर कर वसूला जाएगा नौवहन और राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है ।

2. समिति की संरचना निम्नलिखित रीति से होगी :—

1. नौवहन और परिवहन राज्य मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली —अध्यक्ष
2. केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री —सदस्य
3. तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री —सदस्य
4. संयुक्त सचिव (परिवहन) नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली —सचिव

3. समिति के निम्नलिखित विचारार्थ विषय होंगे :—

(क) विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में प्रचलित मौजूदा मोटर-यान कराधान पद्धति का गहराई से अध्ययन करना ।

(ख) बुनियादी सिद्धान्तों का पता लगाने और मोटर यान कराधान की वसूली के बारे में मानक और मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना जिससे सभी राज्य सरकारें और संघ क्षेत्र प्रशासन कर ढांचे को युक्तिसंगत बना सके और इस बारे में विविधता को कम कर सके तथा मूल्यांकन, संकलन आदि के बारे में प्रक्रियाओं और कार्य प्रणाली को सरल कर सके जिससे अन्तर्राज्यीय सड़क यातायात को निर्बाध बनाया जा सके ।

4. समिति अपने कार्य के लिए प्रक्रिया और कार्य प्रणाली के बारे में निर्णय करेगी । समिति इस संकल्प के जारी होने की तारीख से एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति मन्त्रिमंडल, सचिवालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र

प्रशासनों (परिवहन विभाग) और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th April, 1983

File No. TW/TDC(30)/81.—In pursuance of the recommendations contained in the Resolution adopted by the Transport Ministers of all States/UTs in a meeting held on 31st May, 1982, it has been decided to constitute a Committee under the Chairmanship of Minister of State for Shipping and Transport to review the present system of Motor Vehicles taxation in different States/U.Ts. and to make recommendations for streamlining the same particularly to lay down the principles on which taxes on motor vehicles may be levied.

2. The composition of the Committee shall be as follows :—

1. Minister of State for Shipping and Transport, Government of India, New Delhi — Chairman
2. Union Minister of State for Finance. — Member
3. Transport Ministers of Tamil Nadu, Maharashtra, West Bengal, Punjab and Uttar Pradesh. — Members
4. Joint Secretary (Transport), Ministry of Shipping and Transport, New Delhi. — Secretary.

3. Terms of Reference of the Committee will be :

(a) To make an indepth study of the existing motor vehicle taxation system obtaining in different States/UTs.

(b) To identify basic principles and formulate norms and guidelines that may be laid down in regard to the levy of Motor Vehicle Toxation, so that all the State Governments and Union Territory Administrations may be able to rationalise tax structure, reduce multiplicity in this regard and simplify methods and procedures regarding assessment, collections etc. thereby facilitating smooth inter-state road transportation.

4. The Committee will decide the procedure and methodology to be adopted for its functioning. The Committee will submit its report within one year from the date of issue of this Resolution.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Cabinet Secretariat, the Planning Commission, Ministry of Finance and the other Ministries of the Government of India, all State Governments/U.T. Administrations (Transport Departments) and to the Chairman and Members of the Committee.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. J. MISRA, *Jt. Secy.*

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983